न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 10/2017

दायर दिनाँक 13.04.2017

वादी		प्रतिवादी
1. तहसीलदार, डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हबीब खां पुत्र इब्राहिम खां जाति देशवाली निवासी मीर कुआ की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 177, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रभुदयाल व्यास तहसीलदार डीडवाना
2. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन अधिवक्ता प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 03.11.2020

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी ने अन्तर्गत धारा 177 के तहत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मीर कुआ की ढाणी पटवार मण्डल डीडवाना के खसरा सं0 1905 रकबा 5.12 बीघा किस्म बारानी–1 जो कि वर्तमान में जमाबन्दी संवत 2070–2073 में श्री हबीब खां पुत्र इब्राहीम खां जाति देशवाली निवासी मीर कुआ की ढाणी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। पटवारी हल्का डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर प्लोटिंग की हुई है। यह भूमि रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है इसका उपयोग कृषि कार्य में नहीं होकर अकृषि उपयोग में हो रही है। जो कि खातेदारी शर्तो कि स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आर.टी.ए. की धारा 177 के तहत उक्त भुमि की खातेदारी समाप्त कर सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा सं0 1905 रकबा 5.12 बीघा भूमि मुझ गैर सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। जिस भूमि को वादी ने मो0 सलीम गोरी व मो0 अली को बेचाण कर दी है। उक्त भूमि सदैव कृषि कार्य के उपयोग व उपभोग की रही है तथा वर्तमान खातेदारों द्वारा भी कृषि उपयोग में ली जा रही है।

उक्त जवाब पर तहसीलदार डीडवाना द्वारा पुनः रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पंत्राक 403 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में प0म0 डीडवाना के ग्राम मीर कुआ की ढाणी खसरा सं0 07 रकबा 0.91 हैक्टयर (गत खसरा सं0

15/68
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1905 रकबा 5.12 बीघा) वर्तमान राजस्वरेकर्ड में सलीम गोरी पुत्र अब्दुल अजीज कौम मुसलमान देशवाली साकिन काटला बास डीडवाना व मोहम्मद अली पुत्र मुमताज कौम देशवाली साकिन रामसाबास के नाम दर्ज है। तथा वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बर पर किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में मौके पर चारागाह के रूप में पडत छोडा हुआ है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पंत्राक 403 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा स्पष्ट है कि वर्तमान में प0स0 डीडवाना के ग्राम मीर कुआ की ढाणी खसरा सं0 07 रकबा 0.91 हैक्टयर (गत खसरा सं0 1905 रकबा 5.12 बीघा) वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मो0 सलीम गोरी पुत्र अब्दुल अजीज कौम मुसलमान देशवाली साकिन काटला बास डीडवाना व मोहम्मद अली पुत्र मुमताज कौम देशवाली साकिन रामसाबास के नाम दर्ज है। तथा वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बर पर किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में मौके पर चारागाह के रूप में पडत छोडा हुआ है।

अतः तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान उपरोक्त खसरा कृषि कार्य में ही उपयोग में आ रहा है। अतः दावा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 03.11.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner